पत्रांकः 128 /भाविवि/कुसका/2025/ दिनांक : 22 जनवरी 2025

ख़्वजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ की कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 22 जनवरी, 2025, समय – प्रातः 11:30 बजे की कार्यवाहीः–

बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित रहे :

1.	प्रो0 जय प्रकाश पाण्डेय, मा0 कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 जय शंकर प्रसाद पाण्डेय, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, बप्पा श्री नारायन वोकेशनल पी0जी0 कॉलेज (के0के0वी0), चारबाग, लखनऊ।	सदस्य
3.	प्रो0 ललिता राव, सेवानिवृत्त बी0एड0 विभाग, उदय प्रताप स्वायत्तशासी पी0जी0 कॉलेज वाराणसी। (ऑनलाइन प्रतिभाग)	सदस्य
4.	प्रो0 सुधांशु पांड्या, डीन एवं डायरेक्टर–स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, सी0एस0जे0एम0 यूनिवर्सिटी, कानपुर। (ऑनलाइन प्रतिभाग)	सदस्य
5.	प्रो0 चन्दना डे, संकायाध्यक्ष–सामाजिक विज्ञान	सदस्य
6.	प्रो0 सैयद हैदर अली, संकायाध्यक्ष–वाणिज्य	सदस्य
7.	प्रो0 मसऊद आलम, आचार्य–अरबी विभाग, सदस्य–अन्य पिछड़ा वर्ग	सदस्य
8.	प्रो0 एहतेशाम अहमद, आचार्य–वाणिज्य, सदस्य–अन्य पिछड़ा वर्ग	सदस्य
9.	प्रो0 फखरे आलम, आचार्य–उर्दू विभाग	सदस्य
10.	प्रो0 सौबान सईद, आचार्य–उर्दू विभाग	सदस्य
11.	डॉ0 रूचिता सुजय चौधरी, सहायक आचार्य, पत्रकारिता एवं जन संचार	सदस्य
12.	डॉ0 बुशरा अल्वेरा, सहायक आचार्य–शिक्षाशास्त्र विभाग	सदस्य
13.	श्री साजिद आज़मी वित्त अधिकारी	विशिष्ट आमंत्री
14.	डॉ0 महेश कुमार कुलसचिव	सचिव

सर्वप्रथम कुलसचिव द्वारा कार्य परिषद् के समस्त उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया और तदोपरान्त माननीय कुलपति जी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। कार्य परिषद् द्वारा प्रस्तुत कार्यसूची पर निम्नांकित निर्णय लिया गया :–

बिन्दु संख्या–1(क) :

राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–ई–13/जी.एस. दिनांक 03 जनवरी 2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–12(2)(क) के अन्तर्गत खोज समिति में विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् द्वारा एक सदस्य नामित किये जाने पर विचार।

निर्णय :

इस बिन्दु पर चर्चा से पूर्व ज्ञात हुआ कि विश्वविद्यालय के आचार्य–प्रो0 सैयद हैदर अली तथा आचार्य–प्रो0 चन्दना डे द्वारा कुलपति पद हेतु आवेदन किया गया है एवं प्रो0 एहतेशाम अहमद, आचार्य द्वारा कुलपति पद हेतु आवेदन किया जा सकता है। अतएव उपरोक्त आचार्य के साथ ही प्रो0 मसऊद आलम सहित सभी आचार्य सभा कक्ष के बाहर चले गये।

तद्‌उपरान्त कुलसचिव द्वारा अवगत कराया गया कि राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–ई–13/जी.एस. दिनांक 03 जनवरी 2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–12(2)(क) के अन्तर्गत खोज समिति में विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् द्वारा एक सदस्य नामित किया जाना है, जिस पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त कार्य परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से प्रो0 प्रतिभा गोयल, कुलपति, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या को खोज समिति का सदस्य नामित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–1(ख) :

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा किये गये प्रबन्धन के आलोक में विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नियुक्त किये जाने पर विचार।

निर्णय :

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत Professor of Practice की Guidelines को अंगीकृत करते हुए विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नियुक्त किये जाने पर कार्य परिषद् द्वारा व्यापक विचार–विमर्शोपरान्त सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी तथा Professor of Practice की SOP तैयार किये जाने हेतु निम्नानुसार समिति गठित किये जाने पर कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गयाः–

1. संकायाध्यक्ष
   (कला एवं मानविकी संकाय, सामाजिक विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय, विज्ञान संकाय, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगकी, विधि अध्ययन संकाय, भेषजी संकाय, अधिष्ठाता–शैक्षणिक)
2. समस्त विभागाध्यक्ष
3. प्रभारी निदेशक–अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय
4. प्रभारी निदेशक–भेषजी संकाय

इसके साथ ही कार्य परिषद् द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त समिति द्वारा तैयार की गयी SOP में वित्तीय प्राविधान किये जाने हेतु इसे आगामी वित्त समिति में प्रस्तुत किया जायेगा। तद्‌उपरान्त Professor of Practice की नियुक्ति किये जाने को व्यवहारिक रूप प्रदान किया जायेगा।

बिन्दु संख्या–1(ग) :

विश्वविद्यालय में चल रहे, प्रस्तावित निर्माण एवं अनुरक्षण संबंधी कार्यों की मॉनीटरिंग हेतु 'प्रोजेक्ट मानीटरिंग सेल (परियोजना अनुश्रवण प्रकोष्ठ)' का गठन किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय में चल रहे, निर्माण एवं अनुरक्षण संबंधी कार्यों की मॉनीटरिंग हेतु 'प्रोजेक्ट मानीटरिंग सेल (परियोजना अनुश्रवण प्रकोष्ठ)' का निम्नवत् गठन कियये जाने का निर्णय लिया गयाः–

1–	लोक निर्माण विभाग / उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड का सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता।	अध्यक्ष
2–	लोक निर्माण विभाग द्वारा नामित सहायक / अधिशासी अभियन्ता।	सदस्य
3–	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा नामित सहायक / अधिशासी अभियन्ता।	सदस्य
4–	कुलपति, ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा नामित 02 विषय विशेषज्ञ।	सदस्य
5–	वित्त अधिकारी / नामित	सदस्य
6–	कुलसचिव / नामित	सदस्य
7–	कार्यदायी संस्था का अधिशासी अभियन्ता।	विशेष आमंत्री
8–	कार्यदायी संस्था का अधिशासी अभियन्ता।	विशेष आमंत्री
9–	नोडल अधिकारी, सिविल, ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ।	सदस्य–सचिव

कार्य परिषद् द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग सेल विश्वविद्यालय परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन यथा आवश्यकतानुसार / निर्देशानुसार करेगा। प्रत्येक नवीन परियोजना का प्रस्ताव परियोजना अनुश्रवण प्रकोष्ठ द्वारा तैयार किया जायेगा। तद्उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदन हेतु भवन कार्य समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

कार्य परिषद् द्वारा उपरोक्त 'प्रोजेक्ट मानीटरिंग सेल (परियोजना अनुश्रवण प्रकोष्ठ)' के गठन पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्य परिषद् की बैठक समाप्त हुयी।

(डॉ0 महेश कुमार)
कुलसचिव / सचिव

(प्रो0 जय प्रकाश पाण्डेय)
कुलपति / अध्यक्ष